पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 363/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 25.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

01. थाना- महराजगंज: अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

➡अवगत कराना है कि दिनांक 22.11.2024 को वादिनी मुकदमा कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी प्रददुम पुत्र हरिकेश यादव ग्राम मुड़ीलपुर कोतवाली- महराजगंज जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी कि पुत्री उम्र करीब 21 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 441/24 धारा 87 बीएनएस बनाम अभियुक्त प्रद्युम उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

जिसके क्रम में-

➡आज दिनांक 25.11.2024 को उ0नि0 ओंमकार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रददुम पुत्र हरिकेश यादव ग्राम मुड़ीलपुर कोतवाली- महराजगंज जनपद आजमगढ को नया चौक के पास से समय करीब 11.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा प्रतिबन्धित (साइबेरियन) पक्षियों के शिकार करने वाले की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहें अभियान के क्रम में दिनांक- 17.11.2024 को थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा 05 प्रतिबंधित जीवित पक्षियों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था।

➡दिनांक- 18.11.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा पुलिस चौकी अजमतगढ़ थाना जीयनपुर आस-पास के गांव के ग्राम प्रधान, सभासदो एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों को चौपाल के माध्यम से प्रवासियों पक्षियों को किसी भी हालत में मारने का आग्रह के साथ आगाह भी किया गया। विदेशी पक्षियों के शिकार हेतु शिकारी जाल, गनशार्ट, लाइसेंसी असलहें, गैर अलाइसंससी असलहे का प्रयोग करते है। चेतावनी दी गयी कि प्रतिबंधित पक्षियों का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 25.11.2024 को थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा 03 एयर गन को थाना स्थानीय पर जमा कराया गया है।

02.थाना जहानागंज: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡दिनांक 19.10.24 को थाना जहानागंज के वादिनी नें थाना उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 18.10.24 को वादिनी की पुत्री उम्र 16 वर्ष के साथ विपक्षी नितिश कुमार द्वारा छेड़खानी करना तथा प्रतिवादीगणो द्वारा मारपीट करते हुए गाली गलौज व धमकी दी गयी के सम्बन्ध में मु0अ0स0 546/24 धारा 74 /115(2), 352, 351(2) BNS व 7/8 पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 ओमप्रकाश यादव द्वारा की जा रही है ।

➡आज दिनांक 25.11.24 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नितिश कुमार पुत्र सुरेन्द्र राम निवासी कड़ासर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को परदेशी मोड़ के पहले पुलिया के पास से समय करीब 14.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।